प्रेषक,

संख्या:499/12-5-2014-32/90 टी0सी0

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2014

विषय: राजस्व निरीक्षकों /लेखपालों द्वारा विभिन्न फसलों पर क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु अनुमन्य दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0-कैम्प-137/2013-14, दिनांक 9 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1481/12-5-2006-32/90 टी0सी0, दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को अतिक्रमित करते हुए राजस्व निरीक्षकों / लेखपालों को विभिन्न फसलों पर क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू0 100.00 प्रति क्राप-कटिंग प्रयोग दर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

(1)	मजदूरी के मद में	रू0 40.00
(2)	मानदेय के मद में	रू0 40.00
	(राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों,	

http://shasanadesh.up.nic.in

जिनके द्वारा क्राप -कटिंग
करायी जाय)

(3) क्षतिपूर्ति (प्रतिकर भत्ता) के मद में रू0 20.00

कुल योग- 100.00

2- आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-111- कृषि कार्य व्यवस्था तथा सॉख्यिकी -03-कृषि ऑकडों में सुधार हेतु प्रायोजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा ।

भवदीय

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 499(1)/12-5-2014 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, क़षि भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in